

6.5 लाख टन क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार स्थापति करने को मंजूरी

चर्चा में क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के पदुर और ओडशा के चांदीखोल में 6.5 लाख टन (MMT) क्षमता के अतिरिक्त आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve-SPR) स्थापति करने को मंजूरी दी है। इसके साथ-साथ इन दोनों एसपीआर के लिये समर्पित सिंगल पॉइंट मूरिंग (Single Point Mooring) के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इस परियोजना के बजटीय आवंटन के संदर्भ में अभी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। यही कारण है कि इस परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है और इस पर वसित्तुत ब्योरा बाद में तैयार किया जाएगा।
- इन गोदामों के संबंध में नियमों और शर्तों का निर्धारण वसित्तुत मंत्रालय के साथ वचिार-वमिरश के बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- चांदीखोल और पदुर के लिये SPR प्रतषिठान भूमिगत (अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न) होंगे।
- इनकी क्षमता क्रमशः 40 लाख टन और 25 लाख टन होगी।
- सरकार ने वर्ष 2017-18 की बजट घोषणा में दो अतिरिक्त एसपीआर स्थापति करने की घोषणा की थी।
- चांदीखोल और पदुर में एसपीआर के निर्माण चरण के दौरान ओडशा और कर्नाटक राज्यों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजति होने की उम्मीद है।

मौजूदा क्षमता कतिनी है?

- ISPR (Indian Strategic Petroleum Reserve Limited- ISPR) द्वारा पहले ही तीन जगहों-वशिाखापततनम (13.3 लाख टन), मंगलूर (15 लाख टन) और पदुर (25 लाख टन) में तेल भंडारण के लिये गोदाम स्थापति किये गए हैं।
- मौजूदा चट्टानी भंडार केंद्रों की क्षमता 53.3 लाख टन है।
- ISPR, एक सरकारी स्वामतिव का वशिष उद्देश्य वाला उद्यम है।
- वसित्तुत वर्ष 2016-17 के लिये खपत आँकड़ों के अनुसार, SPR कार्यक्रम के पहले चरण के तहत इसकी कुल 5.33 लाख टन क्षमता से करीब 10 दनिों के लिये भारत की कुल कच्चे तेल की ज़रूरतों के लिये आपूर्तकी जा सकती है।
- इन गोदामों से आपातकाल में 12 से 22 दनिों के लिये तेल की आपूर्तहिो सकेगी। साथ ही इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी बल मलिनने की उम्मीद है।
- उल्लेखनीय है कि भारत अपनी ज़रूरत का तीन-चौथाई से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार नरितर इस कोशशि में है कि देश में आपातकालीन स्थिति में तेल की आपूर्तहि सुनिश्चिती करने के लिये पेट्रोलियम का भण्डारण किया जाना चाहिये। अतः इस दशिा में सरकार का यह कदम प्रभावी साबति होगा।

तेल खोज नयिमों में छूट

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेल खोज व्यवस्था को पहले की अपेक्षा और अधिक सरल बनाने के लिये तेल खोज नयिमों में छूट देने का नरिणय लयिा है।
- तेल उत्पादक कंपनयिों को यह अनुमति दी गई है कि यदि इन कंपनयिों के नरिधरति अनुबंधति कषेत्र के समीप के कसिी कषेत्र में कहीं तेल भंडार मलिता है तो वे उस कषेत्र को अपने कार्यकषेत्र में शामिल कर सकते हैं। हालाँकि इस छूट के संदर्भ में कुछ आवश्यक शर्तें भी नरिधरति की गई हैं।
- इस नरिणय से कसिी संचालक को भूकंप से संबंधति अध्ययन करने, डेटा को समझने और ज़्यादा सक्षमता से तेल की खोज करने में भी मदद मलिगी।

मुद्दा क्या है?

- कुछ समय पहले कृष्णा-गोदावरी बेसिन में रलियंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) के बीच तेल भंडार का व्यापक अधिकार कषेत्र काफी वविादास्पद रहा है।

